न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 216/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजूराम जाखड़

प्रधान कार्यालयः– 7 प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली 110007

शाखा कार्यालयः– गनेड़ी, तहसील नेछवा, जिला सीकर(राजस्थान)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स जय अम्बे ब्रिक्स उद्योग जरिये प्रोपराईटर सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत**
   पताः– ग्राम कलवा, पोस्ट सुतोद, तहसील–नेछवा, जिला–सीकर (राज.)
2. **सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत**
   पताः– ग्राम ढोलास, पोस्ट खीरवा, तहसील–लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)
3. **विजयपाल सिंह राजपूत पुत्र गोपाल सिह राजपूत**
   पताः– ग्राम ढोलास, पोस्ट खीरवा, तहसील–लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)
4. **सुखवीर सिंह पुत्र पाबुदान सिंह**
   पताः– ग्राम–ढाणी कृपाराम, पोस्ट सुतोद, तहसील–नेछवा, जिला–सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 नवम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री गिरधारी लाल लोमरोड़** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स जय अम्बे ब्रिक्स उद्योग जरिये प्रोपराईटर सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत, सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत, विजयपाल सिंह राजपूत पुत्र गोपाल सिंह राजपूत** एवं **सुखवीर सिंह पुत्र पाबुदान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **विजयपाल सिंह राजपूत पुत्र गोपाल सिंह राजपूत** के स्वामित्व की बंधक औद्योगिक अचल सम्पत्ति **खसरा नं.**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

78/164 ग्राम–कलवा, ग्राम पंचायत– सुतोद, तहसील–नेछवा, जिला–सीकर, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में खाली जमीन, उत्तर दिशा में खाली जमीन एवं दक्षिण दिशा में खाली जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹20,00,000/–(अक्षरे रूपये बीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.06.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.06.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैसर्स जय अम्बे ब्रिक्स उद्योग जरिये प्रोपराईटर सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत, सुमन कंवर पत्नी विजयपाल सिंह राजपूत, विजयपाल सिंह राजपूत पुत्र गोपाल सिंह राजपूत** एवं **सुखवीर सिंह पुत्र पाबुदान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **विजयपाल सिंह राजपूत पुत्र गोपाल सिंह राजपूत** के स्वामित्व की बंधक औद्योगिक अचल सम्पत्ति **खसरा नं. 78/164 ग्राम–कलवा, ग्राम पंचायत– सुतोद, तहसील–नेछवा, जिला–सीकर, राजस्थान** में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में खाली जमीन, उत्तर दिशा में खाली जमीन एवं दक्षिण दिशा में खाली जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 नवम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर